झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1327 वर्ष 2017

1. स्वरूप चटर्जी

2. आदित्य कुमार मेहता .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. आयुक्त, उत्तर छोटा नागपुर, हजारीबाग

3. उपायुक्त, हजारीबाग

4. उप–समाहर्ता, भूमि सुधार, हजारीबाग

5. अंचलाधिकारी, सदर, हजारीबाग

6. कार्यकारी अभियंता, सड़क निर्माण विभाग, सड़क डिवीजन, हजारीबाग

..... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ताओं के लिए :–श्री दिलीप कुमार प्रसाद, अधिवक्ता

राज्य के लिए:– एस0सी0 (एल एंड सी) का जे0सी0

03/21.03.2017 याचिकाकर्तागण, जो स्वयं को मूल भूमि धारकों का मुख्तारनामा धारक होने का दावा करते हैं, उन्होंने इस न्यायालय से अनुरोध किया है कि प्रत्यर्थी सं0 6 को हजारीबाग में स्थित खाता सं0 204, प्लॉट संख्या 652/1106 के अंतर्गत 1.75 एकड़ क्षेत्रफल वाली उनकी रैयती भूमि पर संरचनाओं का निर्माण करने से रोका जाए। उनके अनुसार,

बंदोबस्त वाद संख्या 611/1929–30 में तत्कालीन उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा 20 मई, 1929 को हुकुमनामा के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का निपटान प्रफुल्ल नाथ टैगोर के पक्ष में किया गया था और बंदोबस्तियों को जमीन पर कब्जा दे दिया गया था। विद्वान उपायुक्त, हजारीबाग ने किराया निर्धारण अपील संख्या 19/2012 में 14 अगस्त, 2010 को विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा किराया निर्धारण मामला संख्या 01/2009–10 में पारित आदेश को रद्द कर दिया है और अंचल पदाधिकारी, सदर को दिनांक 28 मई, 2013 के आदेश के माध्यम से कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम से उपरोक्त भूमि का किराया निर्धारित करकने का भी निर्देश दिया है। विद्वान आयुक्त, हजारीबाग ने दिनांक 11 जनवरी, 2017 के आदेश द्वारा राज्य के द्वारा दायर परीक्षण को अपोषणीय मानते हुए अस्वीकार कर दिया है और याचिकाकर्ता–राज्य को राहत के लिए सक्षम न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की है (अनुलग्नक–5)। हालांकि, इस बीच लोक निर्माण विभाग ने उपरोक्त भूमि पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है, जिससे विवश होकर याचिकाकर्ताओं ने 3 सितंबर, 2008 की पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर अपने पक्ष में 13 फरवरी, 2017 को उपायुक्त, हजारीबाग के समक्ष अभ्यावेदन (अनुलग्नक–7) दिया। चूंकि प्रतिवादियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालयय का दरवाजा खटखटाया है।

राज्य के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यह मामला इसी महीने दायर किया गया है और पहली बार यह सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए, अभी तक निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि, वह प्रस्तुत करता है कि यह न्यायालय प्रत्यर्थी सं0 3–उपायुक्त, हजारीबाग को

मामले की जांच करने और कानून के अनुसार इस संबंध में निर्णय लेने के लिए उचित निर्देश जारी कर सकता है।

अभिवचन किए गए प्रासंगिक तथ्यों के आलोक में पक्षकारों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, इस स्तर पर उठाए गए विवाद के गुणागुण में न जाते हुए, इस न्यायालय ने प्रासंगिक रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी/उपायुक्त, हजारीबाग को निर्देश देना उचित पाया और जांच पर, यदि आवश्यक हो, तो निश्चित रूप से अन्य प्रभावित पक्षकारों को भी उचित नोटिस देने के बाद। इस पर विचार उचित अवधि के भीतर, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)